न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–07/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 ईश्वरसिंह पुत्र देवीसिंह 2 मोहनसिंह पुत्र देवीसिंह के कायम मुकाम 1/1 भोमसिंह 1/2 मगसिंह 1/3 कान्ताकंवर 1/4 सोहनसिंह 1/5 दानसिंह पिसरान मोहनसिंह 1/6 मीरकंवर पत्नी मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी डीगडा बस्ती बाडमेर गादान बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 दरिया कंवर पत्नी भूरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बालेबा तहसील गडरा रोड 2 धनीदेवी पत्नी शंकरसिंह 3 राणसिंह पुत्र शंकरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी डीगडा बस्ती बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251एRTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल मेराजा, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री प्रेम प्रजापत, वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 26/12/23

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा डीगडा बस्ती पटवार क्षेत्र बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2718/2220 रकबा 2.0558 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के मौजा डीगडा बस्ती पटवार क्षेत्र बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3286/2222 रकबा 0.1619 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 3285/2222 रकबा 0.0567 भूमि में से रास्ते से सड़क मार्ग तक जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत नही किया। प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प बाडमेर गादान में तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प बाडमेर गादान में तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक शिविर/2023/04 दिनांक 01.05.2023 द्वारा रास्ते हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि कि मौजा डीगडा बस्ती पटवार क्षेत्र बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2718/2220 रकबा 2.0558 हैक्टेयर भूमि से सड़क मार्ग तक जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

3286/2222 रकबा 0.1619 में से 0.0075 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के खसरा संख्या 3285/2222 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि में से 0.0051 हैक्टेयर भूमि के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की भूमि मौजा डीगडा बस्ती पटवार क्षेत्र बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3286/2222 रकबा 0.1619 हैक्टेयरतथा खसरा संख्या 3285/2222 रकबा 0.0567 भूमि में से रास्ते हेतु संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार (3 गठ्ठा) है, 20 फीट रास्ते हेतु करीब 31.10 बिस्वांसी भूमि बनती है। मौजा डीगडा बस्ती पटवार क्षेत्र बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेरकी डीएलसी दर सड़क मार्ग पर 1071910/— रू. प्रति बीघा है। उक्तानुसार 31.10 बिस्वांसी भूमि की दूगुनी राशि 166682/—रू. निर्धारित होती है। अप्रार्थी संख्या 02 मौके पर उपस्थित लेकिन मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उभय पक्षोंद्वारा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन स्वीकार है।

अतः उभय पक्षों की सहमति के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा डीगडा बस्ती पटवार क्षेत्र बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 2718/2220 रकबा 2.0558 हैक्टेयर भूमि में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की भूमि में से सड़क मार्ग तक पहुचने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि मौजा डीगडा बस्ती पटवार क्षेत्र बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3286/2222 रकबा 0.1619 हैक्टेयरतथा खसरा संख्या 3285/2222 रकबा 0.0567 भूमि में से रास्ते हेतु संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार (3 गठ्ठा) है, 20 फीट रास्ते हेतु करीब 31.10 बिस्वांसी भूमि बनती है। मौजा डीगडा बस्ती पटवार क्षेत्र बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर की डीएलसी दर सड़क मार्ग पर 1071910/— रू. प्रति बीघा है। प्रार्थीगण उक्तानुसार 31.10 बिस्वांसी भूमि की दूगुनी राशि 166682/—रू. के बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 26/12/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर